


17/3/21

पत्रावली फेदाहू ई। वकुलप उपरिपट। मूल
जार्जना पत्र भू.राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 136 की खारीज किया जा चुका है
तो जार्जना पत्र धारा 151 CPC का कोई
औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः जार्जना
पत्र खारीज किया जाता है, पत्रावली कुल
सुमार की जाकर नम्बर से एक कम की
जाकर हासिल दफ्तर की।



(श्रीमती शकुन्तला)

उपरोक्त अधिकांश मलतीवर
उपरोक्त अधिकारी

मलतीवर